राष्ट्रीय विकलांगता समर्थन संरचना

2023 – 2025

Hindi | हिन्दी

Australia's Disability Strategy 2021–2031

राष्ट्रीय *विकलांगता समर्थन संरचना 2023-2025 ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031* के तहत एक संबद्ध योजना है।

प्रस्तावना

डिसेबिलिटी एडवोकेसी (विकलांगता समर्थन) विकलांगता से ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बनाए रखने, बढ़ावा देने और उन्हें महत्व देने को सुनिश्चित करके उनका समर्थन करता है। यह विकलांगता ग्रस्त लोगों को उन निर्णयों और प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बना सकता है, जो उनके अधिकारों, भलाई और हितों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए, इसमें उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए पक्षसमर्थन सेवाओं द्वारा समर्थित होना शामिल है, विशेष रूप से सेवाओं और समर्थन तक पहुँच के संबंध में।

राष्ट्रीय विकलांगता समर्थन संरचना 2023-2025 (फ्रेमवर्क) ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के बीच विकलांगता समर्थन के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में विकलांगता ग्रस्त सभी लोगों के लिए समर्थन सेवाओं तक पहुंच हो। फ्रेमवर्क सरकारों को विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए परिणामों और पहुंच में सुधार करने के लिए समर्थन सेवाओं और मानकों के संरेखण की दिशा में काम करने की अनुमति देगा।

2008 में, विकलांगता मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से समर्थन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत संरचना विकसित करने का अनुरोध किया, जिसमें व्यक्तिगत और प्रणाली व्यापक समर्थन, सामान्य परिभाषाएं एवं वांछित परिणाम तथा डेटा मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रीय विकलांगता समर्थन संरचना 2012 (2012 फ्रेमवर्क) ने विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए समर्थन के प्रावधान का मार्गदर्शन करने और सरकार द्वारा वित्त पोषित समर्थन कार्यक्रमों में अधिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम स्थापित किए।

2012 फ्रेमवर्क स्थापित होने के बाद से, विकलांगता और अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों के सामाजिक मॉडल के माध्यम से विकलांगता को पहचानने और उसका जवाब देने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया के भीतर बदलाव जारी है। यह 2012 फ्रेमवर्क स्थापित होने के बाद से सरकार के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण रूप से बदलती विकलांगता नीति और कार्यक्रम परिदृश्य में परिलक्षित हुआ है। व्यक्तिगत और प्रणालीगत समर्थन प्रदाताओं को ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रशासित तेजी से जटिल होती हुई और परस्पर विरोधी सामाजिक समर्थन प्रणालियों के भीतर काम करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रणालियों में राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना और कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास व आवासहीनता, शिक्षा, रोजगार एवं न्याय जैसे मुख्यधारा के समर्थन शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031 (कार्यनीति) के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए विकलांगता ग्रस्त लोगों, परिवारों और देखभाल करने वालों, विकलांगता समर्थन प्रदाताओं, विकलांगता प्रतिनिधि संगठनों तथा चरम निकायों के परामर्श से 2012 फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया है। कार्यनीति यह मानती है कि समर्थन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय में उनके समावेशन तथा भागीदारी की बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। कार्यनीति के तहत सुरक्षा, अधिकार और न्याय परिणाम क्षेत्र विकलांगता समर्थन, जो विकलांगता ग्रस्त लोगों को उस महत्वपूर्ण तरीके के तौर पर स्वीकार करता है जो विकलांगता से ग्रस्त लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने और बनाए रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाता और उनका समर्थन करता है। इस परिणाम क्षेत्र का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 'विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें बरकरार रखा जाए और संरक्षित किया जाए, तथा विकलांगता-ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करें एवं कानून के समक्ष समानता का आनंद उठा सकें'।

दलील (मूल कारण)

विकलांगता ग्रस्त लोगों को अक्सर उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो समाज में भाग लेने की उनकी क्षमता को बाधित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप जीवन के परिणाम खराब होते हैं। इसमें भौतिक, संचार, व्यावहारिक, आर्थिक और प्रणालीगत बाधाएं शामिल हैं। पक्षसमर्थन लोगों को विकलांगता सहायता और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने एवं उनमें भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है।

फ्रेमवर्क स्वीकार करता है कि कई अलग-अलग प्रकार के विकलांगता समर्थन हैं जो विकलांगता ग्रस्त लोगों की सहायता कर सकते हैं, और यह स्वीकार्यता अनौपचारिक समर्थन तक विस्तृत है जो विकलांगता ग्रस्त लोगों के परिवारों, दोस्तों

और देखभाल करने वालों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। हालांकि फ्रेमवर्क की सीमा ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों द्वारा वित्त पोषित विकलांगता समर्थन के प्रावधान पर आधारित है।

फ्रेमवर्क यह पहचान करता है कि विकलांगता का अनुभव अक्सर नुकसान लाता है तथा इस बात पर प्रभाव डालता है कि विकलांगता ग्रस्त लोग कैसे संसाधनों, सेवाओं एवं समर्थनों तक पहुँच सकते हैं और क्या वे इनतक पहुँच सकते हैं। विकलांगता ग्रस्त लोगों सहित समुदाय के सभी सदस्य जाति, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, हानि, वर्ग, धर्म, आयु, सामाजिक मूल और अन्य पहचान चिह्नों के आधार पर अतिरिक्त भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं।

फ्रेमवर्क एक व्यक्ति-केंद्रित और अधिकार आधारित दृष्टिकोण द्वारा रेखांकित किया गया है, जिसके तहत नीतियां और कार्यक्रम विकलांगता ग्रस्त लोगों के इनपुट के साथ तैयार किए गए हैं, जो किसी व्यक्ति व उसकी क्षमताओं, जरूरतों, रुचि और लक्ष्यों पर केंद्रित हैं, तथा ये विकलांगता ग्रस्त लोगों के अधिकारों को दर्शाते हैं।

परिभाषाएं

विकलांगता समर्थन का वर्णन करने के लिए इस फ्रेमवर्क में निम्नलिखित परिभाषाओं का उपयोग किया गया है। यह विकलांगता समर्थन के प्रकारों की पूरी सूची नहीं है जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार में उपलब्ध हो सकती हैं:

विकलांगता समर्थन विकलांगता ग्रस्त लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाती है जो उनके मानवाधिकारों की रक्षा करती हैं एवं उन्हें आगे बढ़ाती हैं।

व्यक्तिगत समर्थन एक पेशेवर पक्षसमर्थक, रिश्तेदार, मित्र या स्वयंसेवक द्वारा अनुचित व्यवहार या दुर्व्यवहार के मामलों को रोकने या उनका समाधान करने के लिए किया जाने वाला आमने-सामने का दृष्टिकोण है।

प्रणालीगत समर्थन में दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांगता ग्रस्त लोगों के सामूहिक अधिकारों और हितों को कानून, नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है।

स्वयं का समर्थन किसी विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो आवाज उठाता है तथा खुद का प्रतिनिधित्व करता है। समुदाय आधारित समूहों के माध्यम से स्व-समर्थन के लिए सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध है।

कानूनी समर्थन भेदभाव, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के कानूनी पहलुओं को संबोधित करके विकलांगता ग्रस्त लोगों के अधिकारों और हितों को बनाए रखता है।

लक्ष्य

इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता समर्थन के प्रावधान के लिए प्रयास करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं:

विकलांगता ग्रस्त लोगों के पास प्रभावी विकलांगता समर्थन तक पहुंच है जो सभी मानवाधिकारों के उनके पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देती है, उनकी रक्षा करती है और इसके संपूर्ण और समान आनन्द को सुनिश्चित करती है, जिससे पूर्ण सामुदायिक भागीदारी और समावेशन को सक्षम किया जाता है।

सिद्धांत

फ्रेमवर्क राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत कानून और नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा सूचित है और इसका समर्थन करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- *विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन*
- *विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1992*

- *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031*
- अंतर को खत्म करने पर राष्ट्रीय समझौता
- एनडीआईएस (NDIS) गुणवत्ता और सुरक्षा संरचना

इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए समर्थन के प्रावधान का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार करती हैं और अपनाती हैं:

अधिकारों और क्षमता का अनुमान

- सभी लोगों को हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव और शोषण से मुक्त होने का अधिकार है।
- सभी लोगों को गरिमा और सम्मान का अधिकार है।
- सभी लोगों को संचार और सूचना तक पहुंच का अधिकार है।
- सभी लोगों को प्रतिशोध के डर के बिना किसी भी समस्या या शिकायत को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने का अधिकार है।
- सभी लोगों को निजता और गोपनीयता का अधिकार है।
- सभी वयस्कों को ऐसे निर्णय लेने का, और उन निर्णयों का दूसरों द्वारा सम्मान करवाने का समान अधिकार है, जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।
- यह माना जाता है कि विकलांगता ग्रस्त सभी वयस्कों में अपने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने और उनमें भाग लेने की क्षमता होती है।
- सभी विकलांगता ग्रस्त बच्चों और युवाओं को उनके जीवन पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों में, जिस हद तक वे सक्षम हैं, भाग लेने का समान अधिकार है।
- ऐसे निर्णय, जो विकलांगता ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं जिनमें वे लोग जिन्हें निर्णय लेने के लिए समर्थन की आवश्यकता हो सकती है उनके सहित विकलांगता से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले उनकी इच्छा, प्राथमिकताओं और अधिकारों के अनुसार किए जाने आवश्यक हैं।
- नियुक्त वैकल्पिक निर्णय-कर्ताओं द्वारा किए गए विकलांगता ग्रस्त लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेते समय, व्यावहारिक रूप से सबसे लंबी सीमा तक, उनकी इच्छा, प्राथमिकताओं और अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सुरक्षा उपाय और न्याय

- विकलांगता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विकलांगता समर्थन एक आवश्यक उपकरण है।
- सभी विकलांगता ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें बरकरार रखा जाता है और उनकी रक्षा की जाती है।
- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कानून के समक्ष समानता का आनंद लेते हैं।
- व्यक्तियों को यह पहचानने और समझने के लिए सहायता दी जाती है कि उन्हें कब हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के अधीन किया गया है तथा यह समझने के लिए कि उन्होंने जो अनुभव किया है उसके जवाब में वे क्या कार्रवाई कर सकते हैं।

- विकलांगता समर्थन में कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व शामिल है, जो पेशेवर कानूनी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, जहाँ विकलांगता ग्रस्त लोगों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने में सहायता करना आवश्यक है।

सहभागिता, समावेशन और समर्थन तक पहुंच

- विकलांगता समर्थन समाज में सभी विकलांगता ग्रस्त लोगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।

- विकलांगता ग्रस्त लोगों के साथ प्रभावी और उचित संचार को सुगम बनाना विकलांगता समर्थन का एक अनिवार्य घटक है।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोगों को गुणवत्ता और स्वतंत्र पक्षसमर्थन सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह रहें हों।

- विकलांगता समर्थन तक पहुंच विकलांगता ग्रस्त लोगों की स्थानीय, संचार, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर विचार करती है।

आत्मनिर्णय

- विकलांगता समर्थन विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति की इच्छा, प्राथमिकताओं और अधिकारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

- *'हमारे बारे में कुछ भी नहीं, हमारे बिना'* सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विकलांगता पक्षसमर्थकों को निम्नलिखित करना चाहिए:

  - सुनिश्चित करें कि व्यक्ति की आवाज समझी और सुनी जाए

  - व्यक्तियों को अपनी ताकत की पहचान करके व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी आवाज़ का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना, और निर्णयों और परिणामों में उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए इन शक्तियों का उपयोग करना; तथा

  - किसी व्यक्ति का आत्म-समर्थन करने की क्षमता का निर्माण करके स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।

प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए समावेशन और सुलभता

- अंतर को खत्म करने पर राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप रखते हुए:

  - प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोगों के विचारों और विशेषज्ञता को उन पक्षसमर्थन सहायताओं, के डिज़ाइन और वितरण में सुना जाता है जो उन्हें प्रभावित करती हैं

  - साझेदारियां और साझा निर्णय लेने की प्रक्रियाएं एक आवश्यक मार्ग है जिसके माध्यम से प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोग विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, सुलभ और समावेशी विकलांगता समर्थन के डिज़ाइन और कार्यान्वयन को आगे बढ़ा सकते हैं

  - प्रथम राष्ट्र समुदाय नियंत्रित क्षेत्र ऐसा आवश्यक मार्ग है जिसके माध्यम से प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोग सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त पक्षसमर्थन सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं

  - मुख्यधारा की विकलांगता समर्थन सेवाएं, प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए तथा उनके साथ, सार्थक और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित पक्षसमर्थन सहायताओं को लागू करती हैं व उनका अभ्यास करती हैं, एवं उनकी ताकत, ज्ञान और एजेंसी को पहचानती हैं

- प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोगों, समुदायों और संगठनों को स्थानीय रूप से प्रासंगिक डेटा और जानकारी तक पहुंच और उपयोग करने की क्षमता के साथ विकलांगता समर्थन के बारे में बेहतर निर्णय लेने के लिए समर्थन दिया जाता है।

अंतर्विरोध और विविधता के प्रति समझ और सम्मान

- विकलांगता समर्थन को यह पहचानना चाहिए कि विकलांगता ग्रस्त लोग एक समरूप समूह नहीं हैं तथा उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और परिस्थितियों को समझा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए एवं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

- विकलांगता समर्थन में विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें जाति, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, हानि, वर्ग, धर्म, आयु, सामाजिक मूल और अन्य पहचान कारकों के कारण भेदभाव और नुकसान के अन्तर्विभाजक रूप शामिल हैं।

परिणाम

इस फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रदान की गई विकलांगता समर्थन सहायताएं निम्नलिखित परिणामों में योगदान देंगी:

- सभी ऑस्ट्रेलियाई समान अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं।

- विकलांगता से ग्रस्त सभी लोग बेहतर विकल्प, नियंत्रण और भलाई का आनंद लेते हैं, निर्णय लेने के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, निर्णय लेने की उन सभी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, तथा उन निर्णयों को लेने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करते हैं।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग हमारे समुदायों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने में सक्षम हैं।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग, चाहे वे कहीं भी रहें, गुणवत्ता और स्वतंत्र पक्षसमर्थन सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग, जिनमें अनेक नुकसानों का सामना कर रहे विकलांग शामिल हैं, को प्रभावी बातचीत और विकलांगता सहायता व सेवाओं तथा/या मुख्यधारा की सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए समर्थन दिया जाता है, जिसमें न्याय और कानूनी वकालत के लिए सहायक, अनुकूलनशील और सामयिक पहुंच शामिल है।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग सशक्त होते हैं और उनके पास उन समर्थनों व सेवाओं के बारे में अपने विचार एवं इच्छाएं व्यक्त करने के अवसर होते हैं जिन तक उनकी पहुंच है तथा सेवा प्रावधान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है; एवं वे जो समर्थन और सेवाएं खरीदते हैं या संलिप्त होते हैं, उनके संबंध में प्रतिक्रिया प्रदान करते समय या शिकायत करते समय शिकायत तंत्र व स्वतंत्र सहायता एवं सलाह का उपयोग कर सकते हैं।

- प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोग इस बारे में अधिक विचार रख सकते हैं कि समर्थन कैसे तैयार और वितरित किया जाता है; सांस्कृतिक और भाषाई रूप से उपयुक्त, व सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, विकलांगता समर्थन तक उनकी पहुंच है, जिसमें विकलांगता समर्थन करने वाले समुदाय नियंत्रित संगठनों तक पहुंच शामिल है; तथा स्थानीय रूप से प्रासंगिक डेटा और जानकारी तक पहुंच एवं उपयोग करने की क्षमता है।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग, जिनमें सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों के विकलांगता ग्रस्त लोग शामिल हैं, की सांस्कृतिक व भाषाई रूप से उपयुक्त, एवं सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, विकलांगता समर्थन तक पहुंच है, जिसमें प्रासंगिक स्थानीय समुदायों के जुड़ाव तथा इनपुट शामिल हैं।

- सभी विकलांगता ग्रस्त लोग, जिनमें महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, तथा वे लोग जो स्त्री-समलैंगिक, पुरुष-समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर या प्रश्नकर्ता, गैर-द्विआधारी या लिंग विविधता, मध्यलिंगी या अलैंगिक के रूप में पहचान करते हैं, उनके पास सुरक्षित, लिंग-संवेदनशील और समावेशी विकलांगता समर्थन तक पहुंच है।

- व्यक्तिगत समर्थन प्राप्त करने वाले विकलांगता ग्रस्त लोगों की जनसांख्यिकी उन समुदायों की विविधता को दर्शाती है जिनमें समर्थन सेवाएं संचालित हो रही हैं।

- विकलांगता ग्रस्त लोगों के पास विकलांगता के विकास, वितरण और मूल्यांकन के सभी पहलुओं तथा उन पर प्रभाव डालने वाली व्यापक सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर है।

- विकलांगता ग्रस्त लोगों के अधिकारों, समाज और समुदायों के लिए उनके द्वारा लाई जाने वाली शक्तियों तथा सकारात्मक योगदानों एवं पक्षसमर्थन सहायताओं की उपस्थिति व मूल्य के बारे में सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।

- विकलांगता समर्थन के बारे में प्रशासन और योजना को डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत व साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण द्वारा सूचित किया जाता है, तथा इस बात पर विचार किया जाता है कि पक्षसमर्थन विकलांगता ग्रस्त लोगों का समर्थन करने वाली अन्य प्रणालियों के साथ कैसे जुड़ती, समन्वय करती एवं संचार करती है।

कार्यान्वयन

फ्रेमवर्क विकलांगता समर्थन कार्य योजना (कार्य योजना) द्वारा समर्थित है जो इसके उद्देश्य, सिद्धांतों और परिणामों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगी। कार्य योजना फ्रेमवर्क के तहत सिद्धांतों और परिणामों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और क्षेत्र की सरकारों का समर्थन करने के लिए नामित न्यायालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करती है।

कार्य योजना को ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है तथा विकलांगता ग्रस्त लोगों के साथ जुड़ाव से इसकी जानकारी दी गई थी। जहाँ उपयुक्त हो, कार्य योजना ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति की लक्षित कार्य योजनाओं और विकलांगता समर्थन के प्रावधान से संबंधित अन्य कानून, नीतियों एवं कार्यक्रमों के साथ संरेखित होती है।

कार्य योजना, आगे के सार्वजनिक परामर्श, तथा विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण पर राजकीय आयोग के निष्कर्ष, 2026 में शुरू होने वाली नई संरचना के अपडेट को सूचित करेंगे।

उत्तरदायित्व, सुधार और नीति निर्देश

इस फ्रेमवर्क से सहमत होने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- उनके अधिकार क्षेत्र में विकलांगता समर्थन के लिए ज़िम्मेदारी साझा करना। प्रत्येक पक्षसमर्थन कार्यक्रम को कैसे विकसित, वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है, यह निर्णय तथा उसके बाद की जिम्मेदारी वित्त पोषण करने वाली सरकार की होती है।

- पूरे ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता समर्थन के प्रभावी नेटवर्क को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। इसमें विकलांगता समर्थकों की क्षमता निर्माण और विकलांगता समर्थन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत परिणामों के विकास का समर्थन करना शामिल है।

- यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता ग्रस्त लोग उन नीतियों और सुधारों को डिज़ाइन करने और लागू करने के केंद्र में हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। इसमें व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण और सह-डिज़ाइन सिद्धांतों को लागू करना शामिल है।

- इस फ्रेमवर्क के उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए विकलांगता समर्थन के प्रावधान में चल रही नीति और सुधार दिशा-निर्देश।

- विकलांगता क्षेत्र तथा समुदाय में विकलांगता ग्रस्त लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

- विकलांगता समर्थन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

- यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता समर्थन का वित्तपोषण पारदर्शी एवं जवाबदेह है तथा भौगोलिक कवरेज और सेवाओं के अंतराल की पहचान करने एवं उन्हें दूर करने सहित न्यायसंगत परिणामों का समर्थन करता है।

- विकलांगता समर्थन तथा सेवा प्रणालियों में सुधार के प्रशासन और योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत एवं साक्ष्य आधारित डेटा का संग्रह, उपयोग व रिपोर्टिंग।

- विकलांगता ग्रस्त लोगों के परिणामों के बेहतर समर्थन, जिसमें व्यक्तिगत और प्रणालीगत समर्थन के बीच संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है, के लिए विकलांगता समर्थन संगठनों, विकलांगता सेवाओं, राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी, मुख्यधारा की सेवाओं, समुदाय-आधारित सेवाओं एवं सरकारों के बीच समन्वय और संचार में सुधार करना।

- ऐसी विकलांगता समर्थन सेवाओं को लागू करना जो प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोगों के लिए समावेशी, सुलभ और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हैं, तथा जो अंतर को खत्म करने पर राष्ट्रीय समझौते एवं अंतर को खत्म करने के लिए प्राथमिकता सुधार के अनुरूप हैं।